राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1941/2024

धर्मेन्द्र यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, मुख्यालय, केम्पस, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, एन.सी.आर. सर्कील, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.06.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा क्षेत्र, कोटा में कार्यतर है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायतों की जांच हेतु 03 अधिकारियों की जांच कमेटी का गठन किया जाकर 07 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी संख्या 03 के पत्र दिनांक 28.03.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा जांच कमेटी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर

सहमति जताते हुए प्रत्यर्थी संख्या 02 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सी.सी.ए. नियम–1958 के नियम 16 के तहत कारण बताओं नोटिस दिया गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड का निरीक्षण तथा कुछ रिकॉर्ड की प्रति चाही गई थी तथा सूचना के अधिकार के तहत भी दस्तावेज मांगे गये थे। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत ही आंशिक निरीक्षण करवाया गया तथा पत्र दिनांक 08.05.2023 द्वारा सम्पूर्ण रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाने से मना कर दिया। फिर भी अपीलार्थी ने कारण बताओं नोटिस का जवाब दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 के पत्र दिनांक 06.06.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को लिखा गया कि अपीलार्थी द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी संख्या 01 के आदेश दिनांक 20.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र दिया गया तथा 15 दिवस में लिखित कथन चाहा गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2024 (अनुलग्नक–7) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्राथमिक जांच के आधार पर कारण बताओं नोटिस दिया गया था, जिसका अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। परन्तु अपीलार्थी को दिनांक 20.05.2024 को चार्जसीट ज्ञापन दिया गया है। वह मानसिक प्रताड़ना के लिए दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.05.2024 को दिये गये चार्जशीट ज्ञापन को अपास्त किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

4. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2(F) में वर्णित प्रकरणों के सम्बन्ध में ही सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को प्राप्त है। उक्त अधिनियम की धारा–2(F) में निम्न प्रावधान है :–

"Service matter" means any one or more than one of the following matters relating to a Government Servant :-

(i) Seniority;
(ii) Promotion;
(iii) Confirmation;
(iv) Fixation of pay;
(v) An order denying or varying pay, allowances, pension and other service conditions to the disadvantage of a Government Servant, other-wise than as a penalty;
(vi) Cases of reversion while officiating in a higher service, grade or post to lower service, grade or post other-wise than as a penalty;
(vii) Withholding the pension or denying the maximum pension other-wise than as the penalty;
(viii) Transfer from one place/post to another place/post."

5. उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि इस अधिकरण को सेवा सम्बन्धी केवल उपरोक्त मामलों में सुनवाई का अधिकार है, अपीलार्थी को कार्मिक विभाग द्वारा सी.सी.ए. नियम–16 के तहत दिनांक 20.05.2024 को आरोप पत्र दिया गया है। उक्त आरोप पत्र को निरस्त करने के संबंध में अधिकरण को सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को प्राथमिक जांच के उपरान्त सी.सी.ए. नियम–16 के तहत विभागीय जांच हेतु ज्ञापन दिनांक 20.05.2024 को दिया गया है। उक्त आरोप पत्र को निरस्त करने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2(F) में प्रावधान नहीं होने से अधिकरण के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से ग्राहयता के प्रक्रम पर ही अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य